# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

---

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण कमांक** 1065–पीबीआर / 14 **जिला** होशंगाबाद

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 2–7–2015 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 26.12.2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा निगरानी में आदेश पारित किया गया है । मध्य प्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 42 के अंतर्गत द्वितीय निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है, केवल सक्षम अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का अधिकारी है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।<br><br>**(मनोज गोयल)**<br>अध्यक्ष | |

# समक्ष न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

order 8 1.3.14

1065-PBR/14

नितिन कुमार आत्मज दामोदर प्रसाद चौधरी उम्र करीब 24 साल
निवासी ग्राम सनखेडा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ..........................................आवेदक

**विरूद्ध**

श्रीमति राजो बाई उर्फ रजिया बाई उम्र 60 साल विधवा मिश्रीसिंह (मृत) वारसान
1.श्रीमति सुखिया बाई पत्नि विशाल सिंह
निवासी बरेली जिला रायसेन
2.श्रीमति छुटटनबाई पत्नि लल्लूसिंह
साकिन पचमढी रोड पिपरिया जिला होशंगाबाद
3.राजेश उर्फ विजेन्द्र सिंह आत्मज मिश्रीसिंह
साकिन शा0 बालक उच्चतर मा0 विघालय के सामने इटारसी जिला होशंगाबाद
4.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद ..........................................................उत्तरवादीगण

[redacted]

**निगरानी याचिका धारा 42 मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत**

[redacted]

आवेदक यह निगरानी याचिका श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 36/निगरानी/2008-09 नितिन चौधरी वि0 श्रीमति राजो बाई वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 जो कि अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा राजस्व सीलिंग प्रकरण कमांक 13 मद अ/90 व (3) वर्ष 90-91 नितिन कुमार विरूद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 19.07.06 एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी इटारसी द्वारा रा0प्र0कं0 24 मद अ/90 व (3) वर्ष 83-84 शासन विरूद्ध मिश्रीलाल में पारित आदेश दिनांक 22.04.89 से उत्पन्न हुआ के विरूद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है ।